

रीख व  
हुवम

क्र. न. ६४/२५

हुवम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

अन्वय सिंह / बुधेश्वर

12/5/25

शर्की इय कोर्ट केस वी करिमा में  
 उपस्थित होकर शर्की पर वाफ़े विनायक  
 वाफ़े प्रस्तुत किया। प्रमाण दूरी यथिक्त  
 किया गया। तद्वीरुप उक्त के विनायक  
 प्रमाण सहमति के आधार पर प्रस्तुत  
 किया। सहमति के आधार पर विनायक प्रमाण  
 स्वीकार किया गया। चरावनी निर्दिष्ट की  
 गयी है। चरावनी केवल बुधेश्वर है।  
 वाफ़े के अंत है इतिवत् प्रमाण  
 है।

(अंजना सहरावती)  
 वाफ़े अधिकारी अन्वय  
 सिद्धांत वारा (राजग)